प्रेस नोट दिनांक-25.02.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 41/2021 धारा 302 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त ज्ञानबाबू पुत्र शिव शंकर द्विवेदी निवासी तीरमऊ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को आलाकत्ल कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि कल दिनाँक-24.02.2021 को थाना राजापुर में थाना अन्तर्गत ग्राम तीरमऊ निवासी शिवशंकर द्विवेदी द्वारा सूचना दी गयी कि उसकी बहू श्रीमती ममता उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी ज्ञानबाबू दुबे निवासी तीरमऊ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट की उसके पित ज्ञानबाबू द्वारा कुल्हाड़ी से गम्भीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गयी। इस सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0सं0 42/2021 धारा 302 भादिवि0 बनाम ज्ञानबाबू पुत्र शिवशंकर द्विवेदी निवासी तीरमऊ थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त ज्ञानबाबू की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर को निर्देश दिये। प्रभारी निरीक्षक तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त ज्ञानबाबू को आलाकत्ल कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

बरामदगी:-

आलाकत्ल कुल्हाड़ी

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

- 1. श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर
- 2. उ0नि0 श्री रवि कुमार
- 3. आरक्षी रोशन सिंह
- (2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लिम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी सुशील सिंह द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधीश श्री विनीत नारायण पाण्डेय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यू चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 759/18 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के नामित अभियुक्त गुलाब विश्वकर्मा पुत्र बोधीलाल विश्वकर्मा निवासी भरथौल थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50000/- रुपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।

दिनाँक-23.11.2018 को श्री रामवीर सिंह तत्कालीन चौकी प्रभारी शिवरामपुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गुलाब विश्वकर्मा उपरोक्त को 04 किलो 500 ग्राम नाजायज सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लिम्बत चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कवीं श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री घनश्यामदास एवं श्री तेजप्रताप द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधीश श्री संजय के. लाल न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 464/16 धारा 354 भादिव व 08 पोक्सो एक्ट के नामित अभियुक्त कल्लू पुत्र खोलावन लाला निवासी खटखाना शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को 04 वर्ष के कारावास एवं 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यह मुकदमा प्रभावी पैरवी हेतु थाना कोतवाली कर्वी में नियुक्त 30नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा को चिन्हित किया गया था।

दिनाँक-17.05.2016 की रात्रि में अभियुक्त कल्लू उपरोक्त द्वारा अपने पड़ोस में एक रहने वाले एक व्यक्ति की नाबालिक पुत्री के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ की गयी थी। (4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कवीं तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 38/16 धारा 354/504/506 भा0वि0 व 08 पॉक्सो एक्ट का वारण्टी अभियुक्त कल्लू पुत्र खेलावन लाल निवासी शंकरगंज खटकाना कोतवाली कवीं जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1. श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी
- 2. आरक्षी सर्वेश
- 3. आरक्षी प्रवीण
- (5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगान हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही के क्रम में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री राजेश कुमार यादव तथा उनके टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ट्रक नं0 यूपी0 70 जीटी 2880 की चोरी से सम्बन्धित 04 अन्तर्राज्यी वाहन चोरों को चोरी की XUV 500 कार नं0 MH46 AD4834 व अवैध तमंचा कारतूस 315 बोर व ट्रक नं0 यूपी0 70 जीटी 2880 से सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.02.2021 को श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र श्री जगदीश नारायण मिश्रा निवासी रघुवर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि पाण्डेय ढ़ाबा के आगे पहाड़ी कर्वी रोड़ से अज्ञात लोगों द्वारा उनका ट्रक नं0 यूपी0 70 जीटी 2880 चोरी कर लिया है, इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 10/21 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। उक्त ट्रक की बरामदगी हेतु उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में टीम लगायी गयी। टीम ने कड़ी मेहनत कर आज दिनाँक 25.02.2021 को मुखबिर की सूचना पर जमहिल पुलिया के पास से अभियुक्त 1. आसाब पुत्र मुन्ने उर्फ अब्दुल लतीफ निवासी रामपुर आधार गंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ 2. अवधेश उर्फ आदि उर्फ मिथुन पुत्र विजय निवासी ग्राम बीजेमऊ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ 3. अतीक पुत्र रईसुद्दीन अहमद निवासी बहरुपुर (मधुपुर) थाना कन्हई जनपद प्रतापगढ़ 4. राहुल यादव उर्फ लम्बू पुत्र दिलीप यादव निवासी बीजेमऊ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की XUV 500 कार नं0 MH46 AD4834 से साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की जामातलाशी ली गयी तो अभियुक्तों के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस 315 बोर व अभियुक्तों द्वारा चोरी किये गये ट्रक नं0 यूपी0 70 जीटी 2880 की रजिस्ट्रेशन, मूल फिटनेश प्रमाण-पत्र, बीमा की प्रति व ट्रक नं0 यूपी0 70 जीटी 2880 के चालक सुनीत कुमार का मूल आधार कार्ड व परिचालक रवि कुमार का मूल आधार कार्ड व ट्रक से चोरी किये गये 4500/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों द्वारा कड़ी पूछताछ में बताया गया कि उन्होनों ने ट्रक को चोरी करके बरेली में ले जाकर बेच दिया है। बरामद शुदा XUV 500 कार नं0 MH46 AD4834 के सम्बन्ध में पूछताछ में बाताया कि उन्होनें यह कार मुम्बई से चोरी की थी। गिरफ्ताशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद प्रपातगढ़ के थाना कन्हई व रानीगंज में लूट एवं चोरी के कई मुकदमें पंजीकृत हैं।

बरामदगी:-

- 1. XUV 500 कार नं0 MH46 AD4834
- 2. ट्रक नं0 यूपी0 70 जीटी 2880 की रजिस्ट्रेशन, मूल फिटनेश प्रमाण-पत्र, बीमा की प्रति
- 3. चालक सुनीत कुमार का मूल आधार कार्ड
- 4. परिचालक रवि कुमार का मूल आधार कार्ड
- 5. ट्रक से चोरी किये गये 4500/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव थाना पहाड़ी
- 2. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह
- 3. आरक्षी जलील अहमद

4. आरक्षी प्रवीण कुमार पाण्डेय

(6). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 25.02.2021 को ब्लाक रामनगर मे प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशीलचन्द्र शर्मा एवं जिला महिला कल्याण अधिकारी श्रीमती प्रिया माथुर के साथ स्टूडेंट वॉलिंटियर्स को महिला सशक्तिकरण हेतु चित्रकूट पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क,एंटी रोमियो आदि के बारे में विस्तृत जानकारी एवं प्रक्रिया के बारे में समझाया गया। महिला समस्याओं के निस्तारण हेतु पुलिस एवं वॉलिंटियर्स का समन्वय स्थापित कर कार्य करने के बारे में भी आश्वस्त किया गया।

इसके साथ ही रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम गयागंज एवं भभेट में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चकमाली, अमानपुर एवं बेड़ीपुलिया पर, एण्टी रोमियों टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम बरगढ़ व कोलमजरा की आर्यवर्त बैंक एवं इन्डियन बैंक में जाकर, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा बस स्टैण्ड, डॉट पुल, बाजार एवं इन्द्रनगर में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ०प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।